

Bill No. 23 Of 2010**THE RAJSTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2010
(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)***A**Bill**further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows :-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 251-A, Rajasthan Act No. 3 of 1955.—After the existing section 251 and before the existing section 252 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), hereinafter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"251-A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another Khatedar's holding or enlarging the existing way.— (1) Where-

- (a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or
- (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings-

and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that-

- (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

- (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved-

may, by order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted."

3. Amendment of Third Schedule, Rajasthan Act No. 3 of 1955.—In Part II-'Application' of the Third Schedule of the principal Act, after the existing entry at serial number 81 and before the existing entry at serial number 82, the following new entry shall be inserted, namely:-

"81.A	251-A	Application for laying underground pipeline or opening a new way through another Khatedar's holding or enlarging or widening the existing way	None	None	One rupee	Sub-Divisional Officer".
-------	-------	---	------	------	-----------	--------------------------

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a provision in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 to ensure that any holder of land in actual enjoyment of a right of way is not prevented from enjoying the right of way. Section 251 provides that if any holder of land, in actual enjoyment of a right of way, is disturbed in such enjoyment of way without his consent, the Tehsildar may, on the application of the holder of land so disturbed make a summary enquiry and order the disturbance to be removed and the applicant-holder to be restored to such enjoyment.

However, there is no provision in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 empowering the State Government to create a right of way through or across the land of any tenant or to enlarge or widen an existing way. Consequently, a large number of khatedars are facing problems of access to their land. The problem has grown manifold in the recent years on account of the fact that large numbers of holdings have been divided by way of partition of division between the co-tenants.

Furthermore, problems are being faced by several farmers who are to transport water to their holdings through pipeline from water sources located outside their holding. However, at present the State Government does not have any powers to permit such farmers to lay underground water pipelines through the holding of other khatedars.

For resolving these problems, a new section 251-A is proposed to be inserted in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 to empower the State Government to permit the khatedars to take water through underground pipes through the holding of other khatedars or to create a new way or to enlarge or widen the existing way through the holding of other khatedars.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

हेमाराम चौधरी,
Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clause 2 of the Bill, which seeks to insert a new section 251-A in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the manner in which the Sub-Divisional Officer shall determine the compensation payable under sub-section (1) of aforesaid section 251-A.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

हेमराम चौधरी,
Minister Incharge.

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2010 का विधेयक सं 23

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं 3 में नयी धारा 251-क का अंतःस्थापन.- राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 251 के पश्चात् और विद्यमान धारा 252 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"251-क. अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां-

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप-खण्ड

अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप-खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

- (i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और
- (ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है -

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।"

3. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं 3 की तृतीय अनुसूची में संशोधन.-मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के भाग-2-'आवेदन' में क्रम

सं. 81 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् और क्रम सं 82 पर विद्यमान प्रविष्टि के पूर्व निम्नलिखित नयी प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

	251-क अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने के लिए आवेदन	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	उप-खण्ड अधिकारी"।
--	---	----------	----------	----------	-------------------

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध है कि किसी भू-धारक के मार्गाधिकार में जिसका वह वास्तव में उपभोग कर रहा हो, को मार्गाधिकार के उपभोग से निवारित नहीं किया गया जाये। धारा 251 उपबंधित करती है कि यदि मार्गाधिकार का वास्तव में उपभोग करने वाले किसी भू-धारक को उसकी सम्मति के बिना ऐसे मार्ग के उपभोग में विघ्न डाला जाता है तो तहसीलदार, इस प्रकार विघ्नग्रस्त भू-धारक के आवेदन पर संक्षेपतः जांच कर सकेगा और विघ्न को हटाये जाने का और धारक-आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा।

तथापि, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 में किसी अभिधारी की भूमि में से होकर या उसके आर-पार मार्ग का अधिकार सृजित करने के लिए या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने वाला कोई उपबंध नहीं है। परिमाणस्वरूप, अधिकांश खातेदार अपनी भूमि तक पहुंचने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस तथ्य के कारण कि, सह-अभिधारियों के बीच बंटवारे या विभाजन से बड़ी संख्या में जोतें विभाजित की गयी हैं, यह समस्या हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गयी है।

इसके अतिरिक्त, ऐसे कई कृषकों द्वारा समस्याओं का सामना किया जा रहा है जो अपनी जोतों से बाहर स्थित जल स्रोतों से पाइपलाइनों के माध्यम से अपनी जोतों में जल का परिवहन करना चाहते हैं। तथापि, ऐसे कृषकों को, अन्य खातेदारों की जोत में होकर भूमिगत जल पाइपलाइनों बिछाने के लिए अनुज्ञात करने हेतु वर्तमान में सरकार के पास कोई शक्तियां नहीं हैं।

इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, खातेदारों को अन्य खातेदारों की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से जल लेने या अन्य खातेदारों की जोत में से होकर नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने के लिए अनुज्ञात करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 में एक नयी धारा 251-क को अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

हेमाराम चौधरी,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, जो राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 में एक नयी धारा 251-क को अन्तःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर राज्य सरकार को वह रीति विहित करने के लिए सशक्त करेगा जिससे उप-खण्ड अधिकारी पूर्वोक्त धारा 251-क की उप-धारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर अवधारित करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

हेमाराम चौधरी,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच.आर. कुड़ी,

सचिव।

(हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 23 of 2010

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(HEMA RAM CHAUDHARY, **Minister-Incharge**)